डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स्था0/2020/5102 दिनांकः 14 मार्च, 2020

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 4971 दिनांक 13.03.2020 के क्रम में अपेक्षा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए निम्नोक्त जानकारी संस्थान में अध्ययनरत छात्रों के मध्य प्रसारित कराना सुनिश्चित करें:-

कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपाय-क्या करें और क्या न करें।

क्या करें।	**क्या न करें**
अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें।	यदि आपको खॉसी या बुखार हो तो किसी के सम्पर्क में न आयें/यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी या फ्लू जैसे लक्षण हो तो उससे सम्पर्क न बतायें।
स्वास्थ्य जागरूकता होने एवं बचाव के उपाय से जान को कोई खतरा नही है।	सार्वजनिक स्थानों पर न थूके।
छीकने और खॉसने के दौरान अपने मुंह पर कपड़ा/रूमाल रखें।	जीवित पशुओं के सम्पर्क या कच्चे/अधपके मॉस, सीफूड अथवा अण्डों के सेवन से बचें।
जब आपके हाथ गन्दे दिखें, तब अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से धोंए।	खेत में न घुमें, जीवित पशुओं के बाजारों में या जानवरों के वध किये जाने वाले स्थल पर ना जाएं।
जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गन्दे न हो तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंडवाश या साबुन और पानी से साफ करें या सैनेटाइजर का प्रयोग करें।	भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र एवं समागम में जाने से बचें, अपने किसी सम्बंधी से जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो, उससे हाथ न मिलाएं।
प्रयोग के तुरन्त बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें।	बिमारी का बचाव/इलाज सम्भव है। भ्रम से दूर रहें और समाज में भ्रम/डर न फैलायें।
अस्वस्थ महसूस होने पर तुरन्त डाक्टर से परामर्श करें।	चिकित्सक की सलाह के बिना दवा का सेवन न करें।
फ्लू जैसे लक्षण होने पर ही मास्क लगायें अनावश्यक रूप से नही	फिलहाल पर्यटक/पर्यटन स्थल से दूर रहें।

2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे संस्थान जिन्होने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में गॉवों को गोद लिया है वे संस्थान गोद लिए गांवों में व्यापक प्रचार एवं प्रसार कर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन जागरूकता का अभियान कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. परीक्षा नियंत्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
4. निदेशक, आई0ई0टी0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि संस्थान द्वारा गोद लिए गांव में कोरोना वायरस की रोकथाम का प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक, सेन्टर फार एडवांस स्टडीज़, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि संस्थान द्वारा गोद लिए गांव में कोरोना वायरस की रोकथाम का प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
6. निदेशक, यू0पी0आई0डी0, नोएडा को इस आशय के साथ प्रेषित कि संस्थान द्वारा गोद लिए गांव में भी कोरोना वायरस की रोकथाम का प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिष्ठाता, फैकल्टी ऑफ आर्कीटेक्चर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि संस्थान द्वारा गोद लिए गांव में भी कोरोना वायरस की रोकथाम का प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
8. डीन, स्टूडेन्ट वेलफेयर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गांव में भी कोरोना वायरस की रोकथाम का प्रचार एवं प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
10. मीडिया प्रभारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
11. नोटिस बोर्ड/वेबसाइट

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव